न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 859/ 2019

1 अभिमन्यू पुत्र भीमसेन उर्फ भीमराज जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुप्रिया पुत्री भीमसेन उर्फ भीमराज पत्नी कपिल ख्यालीया जाति जाट निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 हीना सहारण पुत्री भीमसेन उर्फ भीमराज जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 भीमसेन उर्फ भीमराज पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 इन्द्रा पत्नी भीमसेन उर्फ भीमराज जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 2

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 27.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 15 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/47 प.न. 4/177 मु.न. 2 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 4.048 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता , प.न. 3/177 मु.न. 3 कि.न. 3 में 0.215 है.नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 8 ,13, 18,23 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी, कुल 1.265 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 4/180 मु.न. 18 कि.न. 16 ता 25 में 2. 530 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 4/181 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 14.168 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री है एव वादीगण एव प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान का सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज वादाधीन आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुयी है एव वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में कानूनन हक व हिस्सा रखते है। वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादाधीन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 14.168 है. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 को प.न. 3/177 मु.न. 3 कि.न. 3 में 0.215 है.नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 8 ,13, 18,23 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी, कुल 1.265 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, आराजी प्राप्त हुयी है एव शेष बची चक 15 एल एल जी जमाबदी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

2069–2072 खाता संख्या 50/47 प.न. 4/177 मु.न. 2 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 4.048 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता , प.न. 4/180 मु.न. 18 कि.न. 16 ता 25 में 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 4/181 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 12.903 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला वादी संख्या 1 को 3.226 है., वादी संख्या 2 को 3.226 है. , वादी संख्या 3 को 3.226 है., व प्रतिवादी संख्या 2 को 3.225 है. आराजी प्राप्त हुयी है एव इसी अनूसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम मुताबिक बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड नही होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रहने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज नही होने के कारण वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर विवाद की स्थिती बनी रहती है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को मन लगाकर काश्त कर पानें मे असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वह वादीगण को उनके हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी का सहमति के आधार पर खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से मुताबिक बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 25.11.2019 को बमुकाम चक 15 एल एल जी में वादीगण की बात मानने से स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 15 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/47 प.न. 4/177 मु.न. 2 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 4.048 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता , प.न. 4/180 मु.न. 18 कि.न. 16 ता 25 में 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 4/181 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 12.903 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला वादी संख्या 1 को 3.226 है., वादी संख्या 2 को 3.226 है. , वादी संख्या 3 को 3.226 है., व प्रतिवादी संख्या 2 को 3.225 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा मय काउन्टर क्लैम पेश कर निवेदन किया कि चक 15 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/47 प.न. 4/177 मु.न. 2 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 4.048 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता , प.न. 4/180 मु.न. 18 कि.न. 16 ता 25 में 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 4/181 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 12.903 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 को 3.225 है. , वादी संख्या 1 को 3.226 है., वादी संख्या 2 को 3.226 है. , वादी संख्या 3 को 3.226 है., आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। चक 15 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/47 प.न. 3/177 मु.न. 3 कि. न. 3 में 0.215 है.नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 8 ,13, 18,23 प्रत्येक में 0.253 है.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
साडूलशहर

Scanned by CamScanner

नहरी, कुल 1.265 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता का खाता प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम से अलग कायम किया जावे एव रेवेन्यू अलग से कायम की जावे।
जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण मे उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यो को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट करते हुये काउन्टर क्लैम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादाधीन आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात है एव वादीगण पारिवारिक बंटवारा के अनूसार वादाधीन आराजी मे खातेदारी घोषणा की मांग कर रहे है जो कि वादाधीन आराजी सहदायिकी सम्पति है एव प्रतिवादीगण ने इकबाल कथन पेश कर वादीगण के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट की है एव पारिवारिक बंटवारानूसार स्वंय के कब्जा काश्त के किलो का खाता पृथक किये जाने का अनूतोष चाहा है, इस प्रकार वादीगण एव प्रतिवादीगण ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है एव वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा के अनूसार खातेदारी घोषणा एव खाता पृथक कायम किये जाने का अनूतोष चाह रहे है। इस प्रकार वादीगण एव प्रतिवादीगण ने अपने दावा व प्रतिदावा को दस्तावेजी साक्ष्यों अभिकथनों, इकबाल कथनों से बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादीगण एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 1 व2 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (1) चक 15 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/47 प.न. 4/177 मु.न. 2 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 4.048 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता , प.न. 4/180 मु.न. 18 कि.न. 16 ता 25 में 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 4/181 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 12.903 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला में से वादी संख्या 1 को 3.226 है. , वादी संख्या 2 को 3.226 है. , वादी संख्या 3 को 3.226 है., व प्रतिवादी संख्या 2 को 3.225 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। (2) चक 15 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/47 प.न. 3/177 मु.न. 3 कि.न. 3 में 0.215 है.नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 8 ,13, 18,23 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी, कुल 1.265 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम किया जाता है।
उक्तानूसार ही वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक27.1.2020को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.1.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.05 17:21:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: